WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्र कुमार टॉक,
आर.जे.एस.
(UID No. RJ 865)

दस वर्ष से अधिक
अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक : 24.04.2026
फौज. मूल प्र.सं. : 1086/2015
सी.आई.एस. नंबर : 1241/2016
सी.एन.आर. नंबर : RJJL060002352016
प्रथम सूचना रि.सं. : 125/2015
अन्तर्गत धारा : 279, 304ए भा.द.स.
पुलिस थाना : रामसीन

अभियोगी :–

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल

—— **उपस्थित :–** अभियोजन अधिकारी।

ब ना म

अभियुक्त :–

दिनेश भाई पुत्र श्री रविकान्त उर्फ कान्तिभाई, उम्र 58 वर्ष, निवासी हालोल, पीएस, हालोल, जिला पंचमहल, गुजरात।

—— **उपस्थित :–** श्री राहुल गोस्वामी, विद्वान अधिवक्ता।

–:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::–

अपराध की तिथि	11.11.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	12.11.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	19.11.2015
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	14.07.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	28.01.2017
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	15.04.2026
निर्णय की तिथि	24.04.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 द0प्र0सं0 के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01.	दिनेश भाई	––	19.11.15	279, 304ए भादस	दोषमुक्त		

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::–

क. अभियोजन

साक्षी का कम	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.डब्ल्यू. 01.	श्री शैतानाराम	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02.	श्री शंकराराम	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03.	श्री राकेश कुमार	मैकेनिकल मुआयनाकर्ता साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04.	श्री भंवरलाल	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05.	श्री मोहनलाल	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्ल्यू. 06.	डॉ. सुरेश कुमार	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07.	श्री रमेश कुमार	रिपोर्टकर्ता
पी.डब्ल्यू. 08.	श्री मांगीलाल	घटना का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 09.	श्री गुमानाराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 10.	श्री साकिर खां	पक्षद्रोही साक्षी

ख. बचाव

साक्षी का कम	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
––	––	––

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::–

क. अभियोजन

WEB COPY NOT OFFICIAL

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी. संख्या
01.	फर्द पंचनाम लाश मृतक श्री लादूराम	01.
02.	फर्द नक्शा मौका	02.
03.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	02.
04.	फर्द सूरतहाल लाश मृतक श्री लादूराम	03.
05.	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक श्री लादूराम	04.
06.	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल आरजे 19 केएस 0644	05.
07.	फर्द जब्ती ट्रेक क्लासिक जीजे 09 एम 8072	06.
08.	पुलिस बयान गवाह श्री मोहनलाल	07.
09.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक श्री लादूराम	08.
10.	लिखित रिपोर्ट	09.
11.	पर्चा चाक एफ.आई.आर.	10.
12.	पुलिस बयान गवाह श्री रमेश कुमार	11.
13.	पुलिस बयान गवाह श्री मांगीलाल	12.
14.	133 एमवी एक्ट नोटिस मय जवाब श्री शाकीर खां	13.
15.	रोजनामचा रपट रवानगी की प्रति	14.
	(सहवन से प्रदर्श पी. 02 दो दस्तावेज पर अंकित हुए।)	

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
——	——	——

—: निर्णय :—

दिनांकः— 24.04.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रमेश कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना रामसीन में इस आशय की पेश की कि कल दिनांक 11.11.2015 को रात्रि करीब 11 बजे मेरा भाई लादुराम अपनी मोटरसाईकल RJ19 KS 0645 से जालोर से घर खारा आ रहा था। सरहद भरुड़ी में

WEB COPY NOT OFFICIAL

पहुंचा तो सामने से तुफान गाड़ी नं. GJ 9M 8072 को उसका चालक दिनेश भाई पुत्र कान्तिभाई क्रिचियन निवासी पावागढ़ रोङ हलोल (गुजरात) तुफान गाड़ी को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मेरे भाई लादूराम के मोटरसाईकल के टक्कर मारी। जिससे मोटरसाईकल क्षतिग्रस्त हो गई व लादूराम के गम्भीर चोटे आई, तब पिछे आ रहे मोहनलाल पुत्र हीराराम, निवासी खारा व मांगीलाल पुत्र भागीरथराम विश्नोई, निवासी खारा ने लादुराम को ईलाज हेतु अस्पताल भीनमाल पहुंचाया व मुझे सूचना दी जिस पर मैं अस्पताल भीनमाल या मेरे भाई की दौराने ईलाज अस्पताल भीनमाल में मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन मोटरसाईकल व तुफान गाडी मौके पर पड़े है, कानूनी कार्यवाही करावे। इत्यादी इत्यादी।

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामसीन द्वारा अभियोग संख्या 125 दिनांक 12.11.2015 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त दिनेश भाई के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार अभियुक्त को आरोप पत्र की नकलें प्रदान की गई।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के आरोप का आरोप मौखिक ही विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उसने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

WEB COPY NOT OFFICIAL

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि लिखित रिपोर्टकर्ता रमेश कुमार द्वारा घटना कारित होते हुए नहीं देखा जाना जिरह में स्वीकार किया गया। गवाह मोहनलाल द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया। मोटरसाइकिल का चालक तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित हुई। वाहन स्वामी शाकिर खां द्वारा वक्त दुर्घटना वाहन दिनेश भाई चला रहा हो जवाब दिए जाने से इनकार करते हुए स्वयं को हिंदी लिखना–पढ़ना नहीं आने का कथन किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त दिनेश भाई द्वारा दुर्घटना कारित की गई हो संदेहास्पद हो जाता है। किसी गवाह द्वारा दिनेश भाई द्वारा दुर्घटना कारित की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं की गयी जिससे संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन मामला संदेहास्पद है। अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावें।

<u>अवधार्य बिन्दु :–</u>

05. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

01. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.11.2015 को रात्रि 11 बजे सरहद भरूडी में वाहन तुफान नंबर जी.जे 9एम 8072 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 19 केएस 0645 के टक्कर मारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिससे लादूराम के चोट आने से उसकी उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित हुई ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय :–

06. अभियोजन के विरूद्ध में व अभियुक्त के पक्ष में किया जाता हैं।

विनिश्चिय के कारण :–

07. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो संपूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके समग्र अवलोकन से प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 08 मांगीलाल है। जिसके द्वारा घटना देखे जाने का उल्लेख लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 09 में वर्णित किया गया। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 11.11.2015 को मैं व मोहनलाल जालोर से बोलेरो गाड़ी में सवार होकर गांव की तरफ आ रहे थे। भरूड़ी पहुंचे तो हमारे आगे लादूराम मोटरसाइकिल पर चल रहा था। सामने से तूफान गाड़ी जीजे 09 एम 8072 के चालक द्वारा ओवरटेक करते हुए तेज गति से टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल चालक नीचे गिर गया। तूफान चालक को रूकवाकर नाम पता पूछा तो अपना नाम दिनेश भाई निवासी पावागढ़ होना बताने, दुर्घटना की सूचना लादूराम के भाई रमेश को दिए जाने व घायल अवस्था में एंबुलेंस में अस्पताल पहुंचाने का कथन किया गया।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मेरी गाड़ी के 300 मीटर आगे लादूराम की मोटरसाइकिल चल रही थी। यह कहना सही है कि लादूराम को मैं दुर्घटना के बाद में जानने लगा हूं। मैं दुर्घटनास्थल पर घटना के पांच मिनट पश्चात पहुंचा था। दुर्घटना सड़क के बीचों–बीच हुई थी। मोटरसाइकिल सामने से आ रही तूफान गाड़ी के जाकर टकराया था। वक्त दुर्घटना तुफान गाड़ी की स्पीड 30–40 किलोमीटर घंटा थी। दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक द्वारा मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाकर तुफान गाड़ी के टकराने से हुई है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही रही हो। यह कहना सही है कि गाड़ी के चालक को न तो दुर्घटना से पहले जानता था न आज

WEB COPY NOT OFFICIAL

जानता हूं। यह कहना गलत है कि तूफान गाड़ी के चालक के बारे में मुझे किसी ने बताया हो, अजखुद कहा कि गाड़ी रोकी तब चालक ने अपना नाम दिनेश बताया। यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल चालक के हेलमेट पहना हुआ नहीं देखा।

08. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 07 रमेश कुमार है। जिसके द्वारा घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 09 प्रस्तुत की गयी। गवाह द्वारा मांगीलाल व मोहनलाल द्वारा फोन पर एक्सीडेंट की सूचना दिए जाने व मोहनलाल व मांगीलाल द्वारा लादूराम को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाने, मोहनलाल व मांगीलाल द्वारा दुर्घटना की सारी बात बताई जाने, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 09 होने, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 होने, फर्द पंचनामा प्रदर्श पी. 01 होने, फर्द सूरतहाल लाश व सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श पी. 03 व 04 होने व फर्द जब्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी. 05 होने का कथन किया।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मैंने दुर्घटना होते हुए मेरी आंखों से नहीं देखी। मैंने दुर्घटना होते नहीं देखी इसलिए मैं नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना कैसे घटित हुई। यह कहना सही है कि मैं भी घटनास्थल पर नहीं गया था। रिपोर्ट किसने लिखी मुझे याद नहीं। यह कहना सही है कि रिपोर्ट लिखने वाले ने रिपोर्ट पढ़कर मुझे नहीं सुनाई थी, न ही मैंने बोलकर रिपोर्ट लिखवाई थी। मैंने केवल हस्ताक्षर किए थे। यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने फर्द प्रदर्श पी 01, 02, 03, 04, 05 पर मेरे हस्ताक्षर थाने में करवाए थे।

09. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 05 मोहनलाल है। जिसके द्वारा स्वयं द्वारा दुर्घटना होते नहीं देखे जाने व दुर्घटना किसकी गलती से होने का कथन किए जाने से अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन सुझाव में गवाह द्वारा स्वयं के पुलिस बयान दिए जाने व दुर्घटना देखे जाने के सुझाव से इनकार किया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

10. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 01 शैतानाराम व पी.डब्ल्यू. 02 शंकरराराम है। जो फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी. 01 का गवाह है। जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 जब्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल व तूफान का मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी. 02 तैयार किए जाने व वाहनों की टूट भाग होने का कथन किया गया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मैंने जीप को थाना परिसर में चलाकर देखा था मुझे जीप की चाबी मालखाना इंचार्ज ने दी थी। उक्त गवाह हस्तगत प्रकरण में औपचारिक प्रकृति के गवाह हैं।

11. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 04 भंवरलाल है। जिसके द्वारा स्वयं के समक्ष लादूराम की लाश का फर्द पंचनामा प्रदर्श पी. 01, फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी. 03, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी. 04 तैयार किए जाने, घ टनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 तैयार किए जाने व फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी. .5 व .6 के जरिये जब्त किए जाने व फर्द जब्ती वाहन पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 01, 03, 04 पर मेरे हस्ताक्षर थाने में करवाये हो, अजखुद कहा कि हॉस्पीटल में करवाये थे। यह कहना सही है कि मैंने दुर्घटना नहीं देखी थी इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना कैसे घटित हुई थी। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 06 डॉ. सुरेश कुमार है। जिसके द्वारा मृतक लादूराम के पोस्टमार्टम किए जाने व रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 होने का कथन किया गया।

12. अभियोजन पक्ष का अंतिम गवाह पी.डब्ल्यू. 09 गुमानाराम है। जिसके द्वारा रमेश कुमार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किए जाने व अनुसंधान मीठाराम द्वारा प्रारम्भ किए जाने, मीठाराम द्वारा अनुसंधान किए जाने, मीठाराम द्वारा फर्द नक्शा मौका तैयार किए जाने, फर्द पंचनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश, फर्द सूरतहाल लाश तैयार किए जाने, वाहनों का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्राप्त किए जाने, वाहनों को जरिए फर्द जब्ती जब्त किए जाने, वाहन स्वामी को धारा 133 एम.वी. एक्ट का

नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किए जाने, बाद अनुसंधान पत्रावली स्वयं के समक्ष प्रस्तुत किए जाने व अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने का कथन किया गया।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मैने पत्रावली में अनुसंधान नहीं किया। मैंने मुलजिम की पहचान परेड नहीं करवाई। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 01 से लगायत 06 मेरे समक्ष नहीं बनाई थी। यह कहना सही है कि मैंने आईओ मीठाराम द्वारा किए गए अनुसंधान का सत्यापन किसी अन्य आईओ से सत्यापित नहीं करवाया।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से जो संपूर्ण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई उसके समग्र अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 16 केएस 0645 व वाहन तुफान संख्या जीजे 9 एम 8072 के मध्य दुर्घटना कारित होना फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी. 05 व 06 के साथ ही वाहनों के मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 से साबित है। जिनके सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत हैं। इसके साथ ही उक्त दोनों ही वाहनों को दुर्घटनास्थल पर ही जब्त किए जाना फर्द जब्ती से साबित है तथा जब्ती के पश्चात ही प्रकरण फरियादी रमेश कुमार की रिपोर्ट पर दर्ज होना फर्द जब्ती पर लाल स्याही से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने से साबित होता है। इसके साथ ही दुर्घटना के फलस्वरूप लादुराम की मृत्यु होना पत्रावली पर उपलब्ध मृतक लादुराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फर्द सुरत हाल लाश, फर्द पंचनामा लाश व फर्द सुपुर्दगीनामा लाश से साबित है।

14. जहां तक वक्त दुर्घटना वाहन तुफान संख्या जीजे 9 एम 8072 को अभियुक्त दिनेश भाई द्वारा चलाई जा रही हो, इस संबंध में अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण गवाह मांगीलाल है। जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में तुफान गाड़ी के चालक को रुकवाकर नाम पता पूछने पर दिनेश भाई, निवासी पावागढ़ होना वर्णित किया गया है। इसके साथ ही उक्त तुफान वाहन प्रदर्श पी. 06 के माध्यम से

WEB COPY NOT OFFICIAL

अभियुक्त दिनेश भाई निवासी पावागढ़ रोड़, हालोल से जब्त किए जाना साबित है। यद्यपि, वाहन का स्वामी गवाह साकिर खान द्वारा स्वयं को दिए गए धारा 133 के नोटिस के जवाब में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जाने का कथन किया तथा अभियुक्त पक्ष के सुझाव में दिनेश भाई के वाहन का चालक होने से इंकार किया गया, किन्तु न्यायालय के विनम्र मत में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी मांगीलाल द्वारा वक्त दुर्घटना वाहन तुफान का चालक दिनेश भाई होना वर्णित किया गया। इसके साथ ही लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 09 में भी वाहन तुफान संख्या जीजे 9 एम 8072 का चालक दिनेश भाई पुत्र कांती भाई होना वर्णित किया गया है। जहां तक गवाह मोहनलाल के पक्षद्रोही होने का प्रश्न है ? न्यायालय के विनम्र मत में मात्र उक्त गवाह के पक्षद्रोही घोषित होने से वाहन चालक तुफान संख्या जीजे 9 एम 8072 का चालक दिनेश भाई हो, संदेहास्पद नहीं हो जाता, उस दशा में जबकि अन्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त तथ्य न्यायालय के समक्ष संदेह से परे साबित है। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसरण में अभियोजन पक्ष वक्त दुर्घटना वाहन तुफान संख्या जीजे 9 एम 8072 का चालक दिनेश भाई होना साबित करने में सफल रहा हैं।

15. जहां तक हस्तगत प्रकरण में की दुर्घटना अभियुक्त दिनेश भाई द्वारा वाहन तुफान गाड़ी जीजे 9 एम 8072 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से आ रही मोटरसाईकिल संख्या आरजे 16 केएस 0645 को टक्कर मारने का परिणाम होने का प्रश्न हैं ? हस्तगत प्रकरण में की दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही के फलस्वरूप कारित हुई हो इस संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श पी. 02 घटनास्थल का नक्शा मौका है। जिसमें एक्स स्थान पर दुर्घटना कारित होने व वाहन तुफान गाड़ी भीनमाल से रामसीन की तरफ जाने तथा मोटरसाईकिल रामसीन से भीनमाल की तरफ जाने तथा दुर्घटनास्थल सड़क की चौड़ाई 18 फीट होना वर्णित किया गया। हस्तगत प्रकरण में उक्त दस्तावेज के अवलोकन से वाहन तुफान गाड़ी अपनी दिशा में ही चल रही थी तथा मोटरसाईकिल चालक द्वारा विपरीत दिशा में जाना प्रकट होता है। इसके साथ ही गवाह मांगीलाल द्वारा अपनी जिरह में यह

WEB COPY NOT OFFICIAL

स्वीकार किया कि वक्त दुर्घटना तुफान गाड़ी की स्पीड 30–40 किलोमीटर/घंटा थी। उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक द्वारा मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाकर तुफान गाड़ी के टकराने से हुई। इसके साथ ही वाहन तुफान के दाहिने साईड का बंपर मुड़ा हुआ होने व मडगार्ड टूटा होने व दाहिने साईड की हेडलाईट टूटी होने, फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी. 06 में वर्णित है, किन्तु मोटरसाईकिल द्वारा वाहन तुफान गाड़ी के सामने से आकर तुफान गाड़ी के डाईवर साईड दाहिनी तरफ टक्कर मारी, टक्कर लगना साबित है। न्यायालय के विनम्र मत में मोटरसाईकिल चालक द्वारा अपनी दिशा से विपरीत दिशा में जाकर वाहन तुफान गाड़ी के टक्कर मारी जाना हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के अनुसरण में साबित है। वाहन तुफान की स्पीड 30–40 किलोमीटर प्रति घण्टा होने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गवाह मांगीलाल द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया हैं। न्यायालय के विनम्र मत में वाहन तुफान तेजगति में नहीं था और स्वयं मृतक लादुराम द्वारा अपनी मोटरसाईकिल गलत दिशा में चलाते हुए दुर्घटना कारित हुई। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण में की दुर्घटना अभियुक्त दिनेश भाई द्वारा वाहन तुफान गाड़ी जीजे 9 एम 8072 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चालकन का परिणाम हो अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसरण में अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

16. परिणामस्वरूप अभियुक्त दिनेश भाई पुत्र श्री रविकान्त उर्फ कान्तिभाई, उम्र 58 वर्ष, निवासी हालोल, पीएस, हालोल, जिला पंचमहल, गुजरात को आरोपित अपराध धारा अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोशित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति

WEB COPY NOT OFFICIAL

बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है।प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 19 केएस 0645 व वाहन तुफान संख्या जीजे 9 एम 8072 को पूर्व में सुपुर्दगीदार को सुपुर्द किया जा चुका है, जो वाहन सुपुर्दगीदार के पास ही रहेंगे एवं संबंधित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जावें अथवा अपील होने के स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा। प्रकरण मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित होने से हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधान आकृष्ट नहीं होने से किसी पीड़ित को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती हैं।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
(UID No. RJ 865)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।

17. निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
(UID No. RJ 865)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।